ET NOW NEWS, Online, 12.7.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Amazon India Under Fire: Reports Allege Poor Working Conditions, E-Commerce Major Refutes Claims

https://www.etnownews.com/videos/amazon-india-under-fire-reports-allege-poor-working-conditions-e-commerce-major-refutes-claims-video-111667371

Amazon India is facing criticism as reports suggest that the working conditions are poor. However, the e-commerce giant has denied these claims and provided a statement explaining the situation. The National Human Rights Commission (NHRC) and the Ministry of Labour have also raised concerns about the poor working conditions at Amazon India.#amazon #amazonindia #jobs #labourministry #uniglobal #amazonemployees #amazonworkers #nhrc #etnow #topnews #businessnews

OUTLOOK, Online, 12.7.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Amazon India Workers Face High Pressure and Low Pay: UNI Global Union Survey

https://business.outlookindia.com/corporate/amazon-india-workers-face-high-pressure-and-low-pay-uni-global-union-survey

As per the report, only 21.3 per cent of drivers and warehouse employees think it's safe to work at Amazon.

Amazon workers in India face intense pressure and unsafe conditions, as per a recent survey. The workers also struggle due to insufficient pay.

The survey has been done by UNI Global Union in collaboration with the Amazon India Workers Association (AIWA). This is claimed to be one of the first surveys to examine the working conditions of Amazon employees in India. Responses were drawn from 1,838 participants.

Christy Hoffman, General Secretary of UNI Global Union, said, "Indian workers face a troubling reality that mirrors the experiences of Amazon employees worldwide." Hoffman added, "It's clear that for conditions to improve at Amazon in India and beyond, workers need strong unions."

The report comes after Amazon faced scrutiny over alleged labor law breaches amid heatwave conditions. A Newslaundry report highlighted the condition of Amazon's warehouse in Haryana's Manesar.

Workers were asked to take oaths to not take breaks until their targets were completed, according to the report. Speaking to the Newslaundry, an employee alleged, "I take an oath that the targets set for us for the remaining two hours of the day will be achieved without taking any breaks for water and washroom."

Following this, the government has pulled up the tech giant for labor law violations. The National Human Rights Commission also issued notice to the Union Ministry of Labour and Employment and asked for a report on the same.

Some of the key findings of the report include insufficient breaks, safety issues, injuries, and extreme pressure.

Workers have also mentioned that they didn't get any assistance from Amazon after workplace injuries. According to four out of five warehouse employees, it is difficult or extremely difficult to meet the goals set by Amazon. Just 21.3 per cent of drivers and

warehouse employees think it's safe to work at Amazon. Additionally, a fifth of the delivery drivers surveyed said they had suffered an injury at work.

Meanwhile, Amazon has refuted these claims. A company spokesperson said, “These claims are factually incorrect, unsubstantiated, and contradict what our employees tell us directly. The data being quoted appears at best questionable, and at worst deliberately designed to deliver on a specific narrative that certain groups are trying to claim as fact."

It was further added, "By contrast, in our most recent internal survey at our Manesar fulfilment centre —conducted randomly and anonymously— 87 per cent of our workforce said they were satisfied with their jobs, with as many as eight out of 10 recommending Amazon as a great place to work. The reality is, there’s nothing more important to us than the safety and wellbeing of our employees and associates, and we comply with all relevant laws and regulations. Our facilities are industry-leading and provide competitive pay, comfortable working conditions, and specially designed infrastructure to ensure a safe and healthy working environment for all.”

Bihar News: जनता दरबार में आत्मदाह किया, नहीं बची जान; किस बात की फरियाद लगाकर थक गया था बुजुर्ग

https://www.amarujala.com/bihar/muzaffarpur/bihar-he-had-tried-to-burn-himself-alive-by-pouring-petrol-in-the-public-court-2024-07-11?pageId=1

Suicide against Government : बिहार में सरकारी तंत्र के रवैये के खिलाफ आत्मदाह का मामला सामने आया है। 60 साल के शख्स ने सरकारी दफ्तरों और अफसरों के चक्कर लगाने के बाद मुजफ्फरपुर डीएम के जनता दरबार में पेट्रोल छिड़क खुद को आग लगा ली थी।

मुजफ्फरपुर जिले में डीएम के जनता दरबार में बीते दिनों गुहार लगा रहे एक व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया था। जिसकी आज SKMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बता दें कि देर शाम से मृतक की तबियत खराब होती जा रही थी।

घटना की जानकारी के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई तो लोगों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन को मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। मामले की जानकारी के बाद मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिम बृजेश कुमार डीएसपी नगर 2 विनीता सिंह और कांति थाने के पुलिस सहित कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा जताया।

मृतक 60 वर्षीय बिंदा लाल गुप्ता के पुत्र नीतीश कुमार ने बताया कि पिता बीते 4 साल से प्रखंड कार्यालय से लेकर थाना का चक्कर काट रहे थे। जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर अधिकारियों की लापरवाही से उनकी मौत हो गई। कांटी थाना की पुलिस और कांटी प्रखंड कार्यालय के अंचल अधिकारी सभी इस मामले को अगर गंभीरता से लिए होते तो शायद पिता की मौत नहीं होती।

मुजफ्फरपुर के जिला कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की SKMCH में मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुँच गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में भी याचिका दायर कर मामले में न्यायिक जाँच की माँग की है।

जानिए क्या था मामला

घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि जमीन पर दखल-कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर छह दिन पूर्व में ही कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले कांटी कस्बा के बिंदालाल गुप्ता की बुधवार की देर रात करीब साढ़े 12 बजे एसकेएमसीएच में मौत हो गई।वर्ष 2014 में उसे तीन डिसिमल जमीन भू-हदबंदी से प्राप्त हुई थी। परिजनों का आरोप है कि वह जिस जमीन पर वह घर बनाना चाहता था। लेकिन, पड़ोसी उक्त जमीन पर उसे दखल कब्जा करने नहीं करने दे रहे थे। वर्ष 2020 में उस पर घर बनाने का प्रयास किया तो आरोपी पड़ोसी ने झोपड़ी गिरा दिया। जिसके बाद से आला अधिकारियों तक गुहार के ही बाद भी उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। कई बार कार्यालयों का चक्कर लगाते-लगाते वह परेशान हो गए थे।जिसके बाद से शुक्रवार की दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंच करके उन्होंने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग ए हवाले कर दिया।

HARYANA : हिरासत में मौत के मामले में पुलिस पर मामला दर्ज

https://jantaserishta.com/local/haryana/haryana-case-filed-against-police-in-custodial-death-case-3384155

HARYANA : पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय युवक की मौत के मामले में एनआईटी क्षेत्र की पुलिस चौकी और सेक्टर 65 स्थित सीआईए थाने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों से पता चला है कि अज्ञात पुलिसकर्मियों पर हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मृतक के परिजनों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा युवक की हिरासत में मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद यह मामला सामने आया है। अमित नाम के पीड़ित को एनआईटी पुलिस चौकी के कर्मियों ने 6 जुलाई को एक शॉपिंग मॉल में चाकू घोंपने की घटना के बाद गिरफ्तार किया था।

अमित को सेक्टर 65 स्थित सीआईए थाने ले जाया गया और 7 जुलाई की सुबह उसे मृत पाया गया। पुलिस ने सोमवार को दावा किया था कि हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किए गए युवक ने थाने के अंदर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि, मृतक के परिवार ने पुलिस पर अमित की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज होने तक उन्होंने अमित का शव लेने से इनकार कर दिया। मृतक के भाई सुमित ने दावा किया कि अमित भी एक अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए जवाबी हमले में घायल हुआ था, लेकिन पुलिस ने अमित को मुख्य आरोपी बना दिया और उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। अधिकारियों ने अमित की मौत की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। मामला राज्य और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के समक्ष भी रखा गया था।

NHRC notice to government over 'soldier in Pakistan prison since 1965 war'

https://www.msn.com/en-in/news/other/nhrc-notice-to-government-over-soldier-in-pakistan-prison-since-1965-war/ar-BB1jEzDW?ocid=weather-verthp-feeds

BHUBANESWAR: Fifty-nine years since he went missing after the India-Pakistan war and 21 years after his photograph surfaced in a newspaper advertisement, the NHRC has sent fresh notice to the ministry of home affairs (MHA) and ministry of external affairs (MEA) to submit action taken reports within four weeks about Indian Army jawan Ananda Patri, said to be in a Pakistan prison since 1965

Friday's directive comes following a fresh petition submitted by rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy on the basis of a letter sent to the secretary of Zilla Sainik Board, Balasore, by Dhamanagar police station on February 19.

Ananda, a native of Gandhighat Sasan under Dhusuri block of Bhadrak district, was a sepoy in the Corps of Engineers Personnel. He was part of the 1962 and 1965 wars against China and Pakistan. Ananda did not come back home after the 1965 war. Family members thought he had died in the war till his son Bidyadhar came across his father's photograph in a newspaper advertisement in 2003 regarding an Indian prisoner of war languishing in Kot Lakhpat Central Jail, Lahore, Pakistan.

Family members came to know Ananda had lost his memory and had been referring to himself as Nasim Gopal. After all efforts to get him back failed, the NHRC was approached in 2021 through Radhakanta. Acting on the petition, the NHRC had directed the MEA to take appropriate action in this matter. However, the ministry stated in its reply that it is the responsibility of the defence ministry as Ananda was with the Indian Army. The case was closed on August 25 last year but has been opened again following Radhakanta's fresh plea.

If alive, Ananda would be 95-year-old now. Family members stay in Kalyani village under Dhamanagar block of Bhadrak district and are still waiting for Ananda's return.

Treatability study for 16 STPs ordered

https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/treatability-study-for-16-stps-ordered/articleshow/111672946.cms

Ahmedabad: After repeated reprimands from the high court for its failure in treating the city’s wastewater and thus polluting the Sabarmati, the civic body’s standing committee on Thursday approved a treatability study for its 16 sewage treatment plants (STPs). The study will be conducted by Gujarat Industrial and Technical Consultancy Organization Limited (GITCO) at a cost of Rs 34 lakh.

The inspection has been extended to eight newly constructed sequencing batch reactor (SBR) plants. These are advanced facilities built by the AMC at a significant expense. “The study will assess whether the STPs are performing as intended ,” said a senior AMC official.

In Aug 2021, the Gujarat high court had taken suo motu cognizance of the fact that the Pirana STP, with a capacity of 180 million litres per day (MLD), was not treating sewage according to the prescribed parameters.TNN

We also published the following articles recently

Karnataka high court takes up suo motu PIL on dengue, seeks government's responseLearn about Karnataka HC's response to dengue outbreak in Bengaluru and other districts. Find out the measures being taken to control the spread of the disease. Stay informed about the latest reports on dengue cases and deaths in Karnataka.111647549

NHRC takes suo motu cognizance of report alleging poor infrastructure of Civil HospitalNHRC addresses poor conditions at Jind Civil Hospital in Haryana. Lack of staff and medical facilities lead to patient referrals. Government asked to report on improvements for better healthcare services.111613972

Gujarat high court: Repeated accidents, graft by officials marring states imageLearn about the Gujarat High Court's concerns regarding the Rajkot fire tragedy and the accumulation of unaccounted wealth by an accused officer. Get insights into the court's inquiries and orders for reports to be submitted by July 25 for further review.111500954

UNI Global Union report claims unsafe working conditions and low pay at Amazon India

https://techstory.in/uni-global-union-report-claims-unsafe-working-conditions-and-low-pay-at-amazon-india/#google_vignette

The difficult working conditions that Amazon India's warehouse and delivery employees endure have been made clear by a recent poll that UNI Global Union and the Amazon India Workers Association (AIWA) undertook. The research presents a dismal picture of the situation for thousands of workers by highlighting problems with low pay, hazardous working conditions, and the fight for fundamental workplace rights.

Key Findings from the Survey

The survey, which included responses from 1,238 warehouse workers and 600 delivery drivers, reveals several concerning trends:

Inadequate Breaks: A significant 86.3% of warehouse workers and 28% of delivery drivers reported not having enough time to use washrooms.

High Injury Rates: One in five delivery drivers admitted to being injured on the job, while four out of five warehouse workers described the targets set by Amazon as "difficult or very difficult to achieve."

Workplace Injuries and Health Issues: Workers shared experiences of receiving no assistance after injuries and facing health issues due to high work pressure and denial of leave.

Union's Call for Change

UNI Global Union's general secretary, Christy Hoffman, emphasized that the situation in India reflects the global reality faced by Amazon employees. She stated that for conditions to improve, there needs to be strong union representation to advocate for workers' rights.

Amazon's Rebuttal

Amazon flatly refuted the survey results in their response. The assertions were deemed factually false and unfounded by an Amazon representative, who also

hinted that the data might have been manipulated to support a specific story. Amazon emphasized the results of an internal survey it performed at its fulfillment center in Manesar, which was random and anonymous and revealed a high recommendation rate of 87% among its employees.

Unions' Demands

Both UNI Global Union and AIWA have made several demands to improve working conditions for Amazon employees in India:

Equal and Higher Pay: They are calling for better wages for all staff to ensure fair compensation for their work.

Improved Welfare Facilities: There is a pressing need for adequate sanitation and hygiene facilities.

Realistic Targets: Amazon should set achievable targets for its warehouse workers.

Appropriate Compensation for Injuries: Ensuring fair compensation for employees affected by duty-related accidents.

Government Involvement

The survey's findings have not gone unnoticed by the authorities. The National Human Rights Commission **(NHRC)** took suo motu cognisance of a news report alleging harsh working conditions at Amazon's Manesar warehouse. This led the labor ministry to seek detailed responses from Amazon regarding labor law violations.

In a communication to the central labor commissioner, Amazon admitted to breaching workplace safety standards at its Manesar warehouse. The company also acknowledged an incident where an employee led a group in pledging not to take toilet or water breaks until unloading packages from six trucks was completed.

Potential Impact of the Survey

The revelations from this survey could have several potential impacts on Amazon India and its workforce:

Further Government Investigations: The poll may lead to further government investigations, which might result in harsher restrictions and more scrutiny for Amazon India.

Union Strengthening: The results may inspire employees to join or establish more powerful unions, which may result in more effective collective bargaining for better wages and working conditions.

Public and Media Attention: If the problem receives more media attention, it may become more widely known, which may put pressure on Amazon to take action.

Amazon's Policy adjustments: In order to address the issues brought up in the poll, Amazon may be forced to make policy adjustments due to regulatory demands and the possibility of reputational harm.

अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने का सामर्थ्य रखते हैं हम : नंबी नारायणन

https://panchjanya.com/2024/07/11/243574/bharat/we-have-the-ability-to-increase-our-strength-in-space-nambi-narayanan/

नंबी नारायणन को नवंबर 1994 में के. करुणाकरन की यूडीएफ सरकार के तहत केरल पुलिस ने 'दूसरे देश को इसरो की महत्वपूर्ण जानकारियां देने' के आरोप में जेल में डाल दिया था ......

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक नंबी नारायणन का जीवन ऐसे असाधारण घटनाक्रमों का साक्षी है जिसने न सिर्फ उनके व्यक्तित्व पर दाग लगाने की कोशिश की बल्कि उन्हें खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक लंबी न्यायिक लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने न सिर्फ उन्हें हर आरोप से मुक्त किया, बल्कि केरल सरकार से उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिलवाया। इसी वर्ष केन्द्र की मोदी सरकार ने उन्हें पद्मभूषण सम्मान से अलंकृत किया।नंबी नारायणन को नवंबर 1994 में के. करुणाकरन की यूडीएफ सरकार के तहत केरल पुलिस ने 'दूसरे देश को इसरो की महत्वपूर्ण जानकारियां देने' के आरोप में जेल में डाल दिया था। उन्होंने जेल में 48 दिन जांच अधिकारियों की यातनाएं सहीं। मई 1996 में केरल उच्च न्यायालय ने सीबीआई की नारायणन के खिलाफ लगाए गए आरोप वापस लेने और जांच अधिकारियों पर कार्रवाई करने की अर्जी स्वीकार कर ली। जून 1996 में केरल सरकार ने सीबीआई से केस वापस लिया और राज्य पुलिस ने नारायणन व अन्य आरोपियों के खिलाफ दोबारा केस खोला। नवंबर 1996 में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के केस दोबारा शुरू करने के निर्णय को बहाल किया। अप्रैल 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने जांच दोबारा शुरु करने के केरल सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। मई 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार को नारायणन को 1 लाख रु. मुआवजा देने को कहा। मार्च 2001 में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने राज्य सरकार को नारायणन को 10 लाख रु. मुआवजा देने का आदेश दिया। जून 2011 में केरल सरकार ने जांच अधिकारियों के खिलाफ केस आगे न चलाने का फैसला किया। सितम्बर 2012 में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मानवाधिकार आयोग द्वारा तय किया गया 10 लाख रु. का मुआवजा देने को कहा। अक्तूबर 2014 में उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने पर विचार करने को कहा। मार्च 2015 में उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आगे न बढ़ाने के केरल सरकार के फैसले को स्वीकृति दे दी। सितम्बर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार को नारायणन को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रु. देने और जांच अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर फैसला करने के लिए एक समिति गठित करने को कहा। ऐसी कष्टप्रद न्यायिक लड़ाई लड़ने वाले कर्मठ और देशभक्त वैज्ञानिक नंबी नारायणन के संघर्षपूर्ण जीवन पर एक फिल्म 'रॉकेट्री: द नंबी इफैक्ट' बनी है, जिसे नंबी अपने संघर्षपूर्ण जीवन की वास्तविक झलक मानते हैं।

इसरो ने पिछले कुछ साल में बड़े-बड़े काम किए हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन बढ़ते कदमों पर क्या कहेंगे?

इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। साथ ही, मेरा मानना है कि यह उसका 'रूटीन' काम है। यानी वह अपना काम सही दिशा में कर रहा है। वह जो भी अनुसंधान, शोध कर रहा

है वे हमारी जरूरतों के अनुसार ही हैं। इसमें संदेह नहीं है कि पीएसएलवी और जीएसएलवी के जरिए अंतरिक्ष में उपग्रह लगातार छोड़े जा रहे हैं।

सही कहा आपने। 104 उपग्रह एक ही साथ छोड़े गए हैं और उन्हें उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं नहीं मानता। इसे इस तरह समझिए कि एक बस में सवारियां बैठी हैं जो बारी-बारी से अपने स्टैंड पर उतरती गई।

जासूसी के झूठे आरोप में उलझााए गए इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को पद्म पुरस्कार देने का मौका मिलना हमारी सरकार के लिए गौरव की बात है। दो दशक से भी पहले एक कर्मठ और देशभक्त वैज्ञानिक नंबी नारायणन को यूडीएफ नेताओं ने अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक झूठे मामले में फंसाया था। उन्होंने राष्ट्रीय हितों को धक्का पहुंचाया और एक वैज्ञानिक को संकट में डाला था। -नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री (त्रिशूर की एक जनसभा में)

सही कहा आपने, पर दुनिया में इस काम की काफी सराहना हुई थी।इसमें संदेह नहीं है कि यह बड़ी बात है, पर एक चीज होती है जरूरत, और एक होती है किसी चीज की इच्छा करना। आपके जैसे मीडिया को इस बात को जानना चाहिए कि जरूरत और इच्छा में क्या फर्क होता है।हमारे सेटेलाइट व्हीकल्स पीएसएलवी और जीएसएलवी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारी मौजूदा क्षमता क्या है और आगे के लिए हमें किस क्षमता को अर्जित करना चाहिए?हां, यह बड़ी उपलब्धि है, जिस तरह हमने पीएसएलवी और जीएसएलवी का इस्तेमाल किया है। पहले हमारी क्षमता एक टन वजन तक की थी जो कई तरह के कामों में इस्तेमाल होती थी। पर अब हमारे पास बड़े उपग्रहों को जियो सिन्क्रोनाइज्ड ऑर्बिट, जो 36,000 किमी. पर है, तक पहुंचाने की क्षमता आ गई है। जहां तक हम अपने इनसेट वगैरह को पहुंचा सकते हैं। अब हम 4 टन वजनी उपग्रह तक छोड़ सकते हैं और आज उन देशों की कतार में आ गए हैं जिनके पास ऐसे सामर्थ्य है। पर अभी बहुत काम करना बाकी है। कई देश हैं जिनके पास इससे ज्यादा वजनी उपग्रह कक्षा में पहुंचाने का सामर्थ्य है।

हमें यह देखना होगा कि हमारी जरूरतें क्या हैं। सवाल यह है कि क्या आपके हिसाब से 4 टन की क्षमता काफी है या आप 5,6,7 टन तक जाना चाहते हैं। अगर हमें और आगे के कामों या अंतरिक्ष केन्द्र स्थापित करने जैसे मिशन के लिए जाना है तो प्रोपल्शन की क्षमता बढ़ानी होगी, नए रॉकेट चाहिए होंगे। मुझे इस बाबत पूरी जानकारी नहीं है, पर हो सकता है, इस पर काम चल रहा हो। पर यह सच है कि हमें और ज्यादा सामर्थ्य हासिल करने की जरूरत है, जो हम कर सकते हैं। हमें यह बाहरी अंतरिक्ष के लिए चाहिए, जैसे चंद्रयान अभियान गया था। ऐसे अभियानों के लिए हमें व्हीकल्स की जरूरत है। अभी हमारे पास जो व्हीकल्स हैं हम उन्हें ही उस लायक बनाकर काम चला रहे हैं। सवाल है कि आखिर हमें प्रोपल्शन से क्या हासिल होगा? हमारा मानना है कि, यह हमारे संचार में बेहतरी के काम आएगा, इससे और भी कई उद्देश्यों की पूर्ति होगी। बाहरी अंतरिक्ष में हमें यह देखना होता है कि हम किसी उपग्रह को छोड़ने के बाद उससे क्या कराना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे यहां इस पर काम चल रहा है।

कुछ देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ज्यादा आगे बढ़े? क्या यह सही है?स्वाभाविक है। कौन देश चाहेगा कि कोई दूसरा देश उससे ज्यादा सामर्थ्य हासिल कर ले। आपकी उपलब्धियों पर वे आपकी तारीफ जरूर करेंगे पर अंदर ही अंदर चाहेंगे कि आप उनसे आगे न निकल जाएं। विकसित देश हर क्षेत्र में खुद को ऊपर देखना चाहते हैं। आपकी तरक्की को लेकर वे खुश नहीं होते, असल में तो उनकी यह कोशिश रहती है कि कैसे आपको आगे बढ़ने से रोकें। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी 4 टन वजन की क्षमता से अमेरिका और रूस की क्षमताएं कहीं ज्यादा हैं। हम अभी चौथे या पांचवें स्थान पर हैं।

क्रायोजेनिक इंजन के मामले में भी क्या यही हुआ?

आप के साथ जब जासूसी वाला दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण हुआ तब आप खुद एक टीम के साथ क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे थे। उ

स प्रकरण की वजह से क्या हम इस क्षेत्र में कुछ पिछड़ गए?

मैं 1994 में इस पर काम कर रहा था जब मेरे विरुद्ध जासूसी का आरोप मढ़ा गया था। कह सकते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में हम कहीं न कहीं कुछ पीछे तो हुए हैं। तो भी आज हम मार्क-3 प्रक्षेपक तैयार करने के बहुत निकट पहुंच चुके हैं जिसमें बहुत ज्यादा 'थ्रस्ट' वाला क्रायोजेनिक इंजन लगता है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने अक्तूबर 2018 में आपको 50 लाख रुपए के मुआवजे का चैक सौंपा। इसे आप किस तरह देखते हैं?

राज्य सचिवालय के दरबार हॉल में एक कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जब मुझे यह चैक सौंपा तो कई तरह के भाव उमड़ रहे थे अंदर। यह मेरे लंबे संघर्ष की जीत तो थी ही, बल्कि राज्य सरकार इसके माध्यम से यह जताना चाहती थी कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ, उस पर वह शर्मिंदा है।

BHASKAR, Online, 12.7.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

बिंदालाल की मौत का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग

https://www.bhaskar.com/local/bihar/nalanda/bind/news/the-matter-of-binda-lals-death-reached-the-human-rights-commission-133307023.html

मुजफ्फरपुर| कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की एसकेएमसीएच में मौत का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राज्य और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में याचिका दायर कर न्यायिक जांच की मांग की है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर कोटि का मामला है। यह मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। मामले में आयोग के स्तर से उच्चस्तरीय जांच की नितांत आवश्यकता है। जमीन पर दखल-कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर छह दिन पूर्व कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले कांटी कस्बा के बिंदालाल गुप्ता की बुधवार की देर रात मौत हो गई।

BHASKAR, Online, 12.7.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

मानवाधिकार आयोग पहुंचा कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने का मामला:5 जुलाई को बिंदालाल गुप्ता ने खुद को लगाई थी आग, इलाज के दौरान तोड़ा था दम

https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/complaint-to-human-rights-commission-about-self-immolation-in-muzaffarpur-collectorate-133305880.html

मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में खुद को आग लगाने वाले बिंदालाल गुप्ता (75) की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। अधिवक्ता एस. के. झा ने बिहार राज्य मानवाधिकार और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में याचिका दायर कर न्यायिक जांच की मांग की है।

एस. के. झा ने बताया कि यह मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर कोटि का मामला है। मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। इस मामले में आयोग के स्तर से उच्चस्तरीय जांच कि आवश्यकता है।

जानिए क्या है पूरा मामला

बिंदालाल गुप्ता कांटी कस्बा में अपने परिवार के साथ रहते थे। 2014 में उन्हें तीन डिसिमल जमीन भू-हदबंदी से मिली थी, जिस पर वह घर बनाना चाहते थे, लेकिन पड़ोसी अड़चन पैदा कर रहे थे। साल 2020 में उस पर घर बनाने का प्रयास किया तो पड़ोसी ने झोपड़ी गिरा दी।

आला अधिकारियों तक गुहार लगाने के बाद भी बिंदालाल को जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। कई बार कार्यालयों का चक्कर लगाते-लगाते वह परेशान हो गए। 5 जुलाई शुक्रवार को दोपहर के समय कलेक्ट्रेट पहुंचे और शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। बुधवार की देर रात एसकेएमसीएच में उनकी मौत हो गई।